

जाबक क्र. 1238/23
दि. 04/12/23

प्रारूप-सात
(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र.44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के प्रपत्र

1. सोसाइटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर – ज्ञानवीर सेवा समिति
तथा ई-मेल आई.डी. ज्ञानोदय भवन, सीमानगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, सागर
9630517171, gyanveersevasamiti@gmail.com
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख– 7543/99 29.12.1999
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख– 22.10.2023
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख– 23.10.2023 से तारीख 22.10.2024 तक

अनु. क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नम्बर	धारिता पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती सविता सिंह राजपूत W/o श्री गोविंद सिंह	सीमानगर, ज्ञानोदय भवन क्रिश्चियन कॉलोनी, सागर	9630517171	अध्यक्ष	गृहणी	
2.	श्री रणबहादुर S/o श्री गुलाब सिंह	सीमानगर, सागर म.प्र.	9993569118	उपाध्यक्ष	कृषि	
3.	श्री आदित्य सिंह राजपूत S/o श्री गोविंद सिंह	किला कोठी जिला सागर	8827181818	सचिव	कृषि	
4.	श्रीमती नंदिका परमार D/o श्री नरेन्द्र सिंह परमार	मकान नं.-82 समपत हिल्स, विछोली मर्दाना वाइपास, इंदौर म.प्र.	8319873094	कोषाध्यक्ष	गृहणी	
5.	श्रीमती सुरभि सिंह W/o श्री आदित्य सिंह	सीमानगर, ज्ञानोदय भवन क्रिश्चियन कॉलोनी, सागर	8120800069	सदस्य	गृहणी	
6.	श्री आकाश सिंह राजपूत S/o श्री गोविंद सिंह	सीमानगर सागर म.प्र.	7389181818	संयुक्त सचिव	कृषि	
7.	डॉ. निशान्त शर्मा S/o डॉ. एन.पी शर्मा	एच.आई.जी 14, पदमाकर नगर, सागर	9009420430	सदस्य	डॉक्टर	

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन

सोसाइटी के वार्षिक वित्त आनुवर्तन चालान दिनांक के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति तब 27 सलेमन है. चालान आई.डी. नंबर (CIN) है।

सोसाइटी के वार्षिक वित्त आनुवर्तन चालान दिनांक के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति तब 27 सलेमन है. चालान आई.डी. नंबर (CIN) है।

घोषणा

श्रीमती सविता सिंह राजपूत पत्नी श्री गोविंद सिंह आयु 49 वर्ष एक प्राधिकृत के रूप में एतद्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड की दायी रहूँगी।

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि
अति रजिस्ट्रार,
फर्न्स एण्ड सक्स्ट्राए,
सागर

हस्ताक्षर
नाम-सविता सिंह राजपूत
पदनाम (अध्यक्ष/सचिव)
मोबा. नं. 9630517171
ई-मेल आई.डी. gyanveersevasamiti@gmail.com
अध्यक्ष
ज्ञानवीर सेवा समिति
सागर (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BW 859579

शशि शैल शर्मा, लखनऊ

पंजीयन क्रमांक 7543 ... दिनांक 29.11.1999
के नाम से दिनांक 01/11/2023 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1979 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि
हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 01/11/2023 को आवेदन प्रस्तुत किया
गया धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता
के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कार्यालय द्वारा
धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है। धारा 29 के
तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रस्ताव
पत्र / आदेश नहीं है।


अधि. प्रमुख,
फर्म एवं सोसायटी
सागर संभाग, सागर

8965

12/10/23

Shree

ਮਾਮੂਲੀ (ਕੇ. ਟੀ. ਟੀ) ਅਧੀਨ ਮਿਲ

ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

[Signature]

[Signature]

ਮੁੱਲ: 1000/-
ਮਿਲ: 12/10/2023
ਮੁੱਲ: 1000/-



[Faint header text]

ਮੁੱਲ: 1000/-
ਮਿਲ: 12/10/2023
ਮੁੱਲ: 1000/-

ਮੁੱਲ: 1000/-
ਮਿਲ: 12/10/2023
ਮੁੱਲ: 1000/-